श्रम मंत्री सम्मेलन

1334. **श्री चतुरानन मिश्र :**

श्री गुरुदास दासगुप्त :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 6 फरवरी को केन्द्रीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता में सभी राज्यों के श्रम मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में अलग-अलग राज्यों द्वारा उठाई गई समस्याओं का ब्यौरा क्या है ;

(ग) उन समस्याओं के बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(घ) क्या यह सच है कि लिये गये कतिपय निर्णयों से पश्चिमी बंगाल के श्रम मंत्री सहमत नहीं थे, यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री) श्री पवन सिंह घटोवर) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) 6-2-92 को आयोजित किए गए श्रम मंत्रियों के सम्मेलन ने अन्य बातों के साथ-साथ, औद्योगिक संबंध विधान पर रामानुजम समिति की रिपोर्ट तथा नई औद्योगिक नीति के अनुसरण में श्रमिकों पर पड़ने वाले प्रभावों पर भी विचार किया जिसमें राष्ट्रीय नवीकरण निधि के लिए संकल्पनात्मक ढांचा शामिल है । बैठक में इस बात पर आम सहमति थी कि रामानुजम समिति की वे सिफारिशें स्वीकार कर ली जाए जिन पर सर्व सम्मति है । यह भी निर्णय लिया गया था कि मतैक्य प्राप्त करने की दृष्टि से रामानुजम समिति की रिपोर्ट में असहमति वाले विषयों की जांच करने के लिए पांच राज्यों के श्रम मंत्रियों की एक समिति नियुक्त की जाए । इस निर्णय के अनुसरण में कोयल राज्य मंत्री श्री पी०ए० संगमा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी है जिसमें उत्तर प्रदेश, प० बंगाल, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों के श्रम मंत्री शामिल हैं ।

(घ) प० बंगाल के श्रम मंत्री का विचार था कि अस्पतालों और अन्य संस्थानों को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के कार्यक्षेत्र से बाहर न रखा जाए । उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि तथापि अस्पतालों के प्रबंधन और कर्मचारियों को संयुक्त, प्रबंधन परिषद तंत्र में शामिल करके ऐसे संस्थानों में हड़तालों की घटना को कम करने पर विचार किया जा सकता है । उन्होंने राष्ट्रीय नवीकरण निधि की संकल्पना पर कड़ी आपत्ति भी की ।

सीमेंट फैक्टरी, माधोपुर के श्रमिकों को वेतन की अदायगी का नहीं किया जाना

1335. **डा० अबरार अहमद** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि सवाई माधोपुर स्थित सीमेंट फैक्टरी में कार्यरत श्रमिकों को इस फैक्टरी को बन्द करने की घोषणा किए बिना ही पिछले साढ़े चार वर्ष से उनके वेतन की अदायगी नहीं की गई है ; यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ;

(ख) क्या सरकार के पास इन श्रमिकों को अन्य वैकल्पिक नौकरियां देने की कोई योजना है ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?